204

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2411–एक/2016 – विरूद्ध– आदेश दिनॉक 14–7–2016 – पारित व्दारा अपर कलेक्टर, जिला श्योपुर – प्रकरण कमांक 66/2010––11 स्वमेव निगरानी

घनश्याम पुत्र कनिराम मीणा
ग्राम रन्नौद तहसील श्योपुर
जिला श्योपुर मध्य प्रदेश । ---आवेदक

विरूद्ध

मुरारीलाल शर्मा (मृतक)पुत्र रामनाथ

वारिस

1– बसंतीवाई पत्नि स्व. मुरारीलाल शर्मा
2– उषा शर्मा पुत्री स्व. मुरारीलाल शर्मा
3– ममता शर्मा पुत्री स्व. मुरारीलाल शर्मा
4– गिरजा पुत्री स्व. मुरारीलाल शर्मा
5– शिवशॅकर पुत्र स्व. मुरारीलाल शर्मा
6– मुकेश चन्द्र पुत्र स्व. मुरारीलाल शर्मा
सभी ग्राम रन्नौद तहसील व जिला श्योपुर
7– मध्य प्रदेश शासन ––अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री पी0के0तिवारी)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री कुॅअर सिंह कुशवाह)
(अनावेदक 7 के पैनल लायर श्री राजीव गौतम)

आ दे श

(आज दिनॉक 23–12–2016 को पारित)

यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला श्योपुर व्दारा प्रकरण कमांक 66/2010–11 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक14–7–2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता , 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने नायव तहसीलदार वृत्त 1/2 मानपुर तहसील श्योपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम नागर गावड़ा की भूमि सर्वे कमांक 719/1 रकबा 6 वीघा 4 विसवा मुरारी पुत्र रामनाथ एंव तथा 2 वीघा (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) पर मुकेश चंद पुत्र शंभूलाल का नाम दर्ज है किन्तु इस भूमि पर वह पिछले 10 वर्षो से काविज होकर खेती करता आ रहा है इस भूमि को भूमिस्वामियों ने 10,000/- रू. लेकर अस्थाई पटटे पर जुताई थी इसलिये संहिता की धारा 169 के तहत वह मौरूषी कृषक है एंव धारा 190 में भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त कर चुका है । अतः अनावेदकगण के नाम के बजाय वादग्रस्त भूमि आवेदक के नाम दर्ज की जावे। नायव तहसीलदार वृत्त 1/2 मानपुर ने प्रकरण कमांक 2/1999-2000 अ-46 पंजीबद्व किया तथा जॉच एंव सुनवाई कर आदेश दिनांक 12-9-2000 पारित करते हुये वादग्रस्त भूमि पर आवेदक का नाम दर्ज करने के आदेश दिये।

आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना ने प्रकरण कमांक 50/2006-07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19-10-2000 में चंबल संभाग के समस्त कलेक्टर्स को निर्देश जारी किये कि संहिता की धारा 169 एंव 190 की आड़ में तहसीलदार/नायव तहसीलदार व्दारा अवैध नामान्तरण की कार्यवाही की गई है, इसलिये ऐसे समस्त प्रकरणों की छानवीन कर स्वमेव निगरानी की कार्यवाही की जावे। इसी परिप्रेक्ष्य में अपर कलेक्टर श्योपुर ने नायव तहसीलदार वृत्त 1/2 मानपुर के प्रकरण कमांक 2/1999-2000 अ-46 को छानवीन में लेकर स्वमेव निगरानी कमांक 66/2010-11 पंजीबद्व की तथा आदेश दिनांक 14-7-2016 पारित करके नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 12-9-2000 निरस्त कर दिया तथा वादग्रस्त भूमि पर पूर्व भूमिस्वामी मुरारी पुत्र रामनाथ एंव मुकेश चंद पुत्र शंभूलाल का नाम दर्ज करने के आदेश दिये। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर हितबद्व पक्षकारों के

अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अपर कलेक्टर ने विलम्ब से निगरानी पंजीबद्व की है जो टाइमवार्ड है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 में सिकमी कास्तकार को मौरूषी हक प्रदान किये जावे के प्रावधान है। आवेदक का वादग्रस्त भूमि पर मौरूषी कृषक होना साक्ष्य एंव अभिलेख से प्रमाणित है इसके वाद भी अपर कलेक्टर ने बेरूम्याद स्वमेव निगरानी दर्ज करके नायव तहसीलदार के गहन जॉच एंव छानवीन उपरांत पारित आदेश को निरस्त करने में भूल की है।

अनावेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि जानकारी के दिन से कभी भी स्वमेव निगरानी की जा सकती है। वादग्रस्त भूमि का विक्रय नहीं हुआ है फिर भी नायव तहसीलदार ने आवेदक को लाभ पहुंचाने की गरज से आदेश पारित करके अनावेदकगण की भूमि को आवेदक के नाम दर्ज करने की त्रृटि की थी जिसके कारण अपर कलेक्टर श्योपुर का आदेश दिनांक 14-7-16 सही है । उन्होंने निगरानी निरस्त करने की मांग रखीं। शासन के पेनल लायर ने इन तर्को का समर्थन किया।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि नायव तहसीलदार वृत्त 1/2 मानपुर ने प्रकरण कमांक 2/1999-2000 अ-46 में पारित आदेश दिनॉक 12-9-2000 से वादग्रस्त भूमि पर आवेदक को मौरूषी कृषक के आधार पर भूमिस्वामी दर्ज करने के आदेश दिये है जिसके विरूद्व अपर कलेक्टर श्योपुर ने दिनांक 7-2-2011 को प्रथम आडरशीट लिखकर स्वमेव निगरानी प्रकरण पंजीबद्व किया है अर्थात लगभग 10 वर्ष 5 माह के विलम्ब से स्वमेव निगरानी पंजीबद्व की है जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने **रनवीर सिंह मृतक वारिस किशोरी सिंह एंव अन्य विरूद्व मध्य प्रदेश शासन 2010 (4) एम0पी0एल0जे0 178 में न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किया है कि स्वमेव निगरानी 180 दिवस के भीतर ही की जा सकती है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50-पुनरीक्षण**

की शक्तियॉ - युक्तियुक्त समय के भीतर ही प्रयोग की जा सकती हैं एव वर्ष की कालावधि अयुक्तियुक्त है। स्पष्ट कि अपर कलेक्टर श्योपुर ने नायव तहसीलदार वृत्त 1/2 मानपुर के आदेश दिनॉक 12-9-2000 के लगभग 10 वर्ष 5 माह के विलम्ब से स्वमेव निगरानी की है तथा 15 वर्ष 9 माह वाद नायव तहसीलदार के आदेश को निरस्त किया है जिसके कारण अपर कलेक्टर जिला श्योपुर व्दारा प्रकरण कमांक 66/2010-11 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 14-7-2016 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ नायव तहसीलदार के प्रकरण कमांक 2/1999-2000 अ-46 में आये ग्रामीण साक्षीगण के कथनों पर एंव ग्राम के पटवारी के कथनों के अवलोकन पर पाया गया कि ग्रामीण मुरारीलाल, सियाराम, मांगीलाल, मुकेश , घनश्याम ने कथन दिया है कि वादग्रस्त भूमि आवेदक ने बतौर मोरूषी कृषक के जोती है। ग्राम के पटवारी बलवीर सिंह भदौरिया ने कथनों में बताया है कि ग्राम नागर गावड़ा की भूमि सर्वे कमांक 719/1 रकबा 6 वीघा 4 विसवा मुरारीलाल ने एंव सर्वे नंबर 719/1 रकबा 2 वीघा पर मुकेश ने कभी खेती नहीं की है इस भूमि पर 10 वर्षो से आवेदक ही काविज होकर खेती करते चला आ रहा है तथा लगान भी अदा करता आ रहा है। साक्षीगण के कथनों से एंव पटवारी के कथनों से प्रमाणित हुआ है कि आवेदक वादग्रस्त भूमि का मौरूषी कास्तकार है , किन्तु नायव तहसीलदार के प्रकरण में आई ग्रामीणों की साक्ष्य एंव पटवारी के कथनों की अपर कलेक्टर श्योपुर ने अनदेखी की है।

7/ प्रकरण के अवलोकन पर पाया गया कि अपर कलेक्टर श्योपुर ने स्वमेव निगरानी प्रकरण के प्रचलित रहते वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अधीक्षक भू अभिलेख श्योपुर को मौके पर भेजकर जॉच कराई है जिस पर अधीक्षक भू अभिलेख का प्रतिवेदन दिनांक 24-3-14 है प्रतिवेदन के अवलोकन पर पाया गया कि मौके पर बनाये गये पंचनामे अनुसार वादग्रस्त भूमि पर आवेदक घनश्याम के पुत्र लवकुश

व्दारा भूमि जोती गई है एंव मौके पर गेहूँ की फसल खड़ी है अर्थात नायव तहसीलदार को संहिता की धारा 169/190 का आवेदन दिनांक 3-1-2000 देने के 10 वर्ष पूर्व से अर्थात 1990 से आवेदक वादग्रस्त भूमि पर अधीक्षक भू अभिलेख अभिलेख की जॉच दिनांक 24-3-14 तक (24 वर्षो से) निरन्तर खेती करता आना प्रमाणित है नायव तहसीलदार के अन्य प्रकरण कमांक 8/98-99 अ-6-अ में पारित आदेश दिनांक 25-8-99 के अंतिम पद में दिये गये विवरण से भी आवेदक दिनांक 10 जुलाई 1990 से वादग्रस्त भूमि पर काविज होकर खेती करते चले आना प्रमाणित है। नायव तहसीलदार मानपुर के आदेश दिनांक 12-9-2000 से घोषित किये गये भूमिस्वामी को वर्तमान परिवेश में 26 वर्ष के पूर्व की स्थिति में ले जाकर भूमि पूर्व भूमिस्वामियों को वापिस करना न्याय की श्रेणी में नहीं माना जावेगा, जबकि 26 वर्ष पूर्व रहे मूल भूमिस्वामी मुरारी पुत्र रामनाथ के वारिसानों एंव मुकेश चंद व्दारा भूमि वापिसी की कार्यवाही न करने के बावजूद उनके नाम पुनः भूमि अंकित करने के अपर कलेक्टर व्दारा दिये गये आदेश को उचित नहीं ठहराया जा सकता।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर कलेक्टर जिला श्योपुर व्दारा प्रकरण कमांक 66/2010-11 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 14-7-2016 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव तहसीलदार श्योपुर को आदेश दिये जाते हैं कि वादग्रस्त भूमि आवेदक के नाम पूर्ववत् दर्ज रखी जावे।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर